# राष्ट्रीय महिला आयोग

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

9

नए समाज की ओर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

# राष्ट्रीय महिला आयोग

9.1 महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाये गये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को **राष्ट्रीय महिला आयोग** का गठन हुआ । इस आयोग को प्राप्त व्यापक अधिदेश के अन्तर्गत महिलाओं के विकास के लगभग सभी पहलू अर्थात् संविधान में महिलाओं को प्रदत्त कानूनी सुरक्षोपायों एवं अन्य कानूनों की जाँच करना तथा सरकार को इनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना; महिलाओं को प्रभावित करने वाले वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों एवं अन्य कानूनों की समीक्षा करना तथा इस तरह के कानूनों में व्याप्त किसी कमी, अपर्याप्तता अथवा दोष को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करना; शिकायतों की जाँच करना एवं महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने के मामलों पर स्वप्रेरणा से ध्यान देना और सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करना; महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन/शोध करना, महिलाओं के सामाजिक'आर्थिक विकास हेतु योजना प्रक्रिया में भाग लेना एवं सलाह देना तथा इसमें हुई प्रगति का मूल्यांकन करना; जेलों, सुधार गृहों, जहां महिलाएं अभिरक्षा में रखी जाती हैं, का निरीक्षण करना और जहां कहीं आवश्यकता हो, सुधारात्मक कार्रवाई का प्रयास करना शामिल हैं ।

9.2 आयोग ने अपने अधिदेश के मद्देनजर, आलोच्य वर्ष में महिलाओं के स्तर में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्य किया है । इस आयोग के सदस्यों तथा अधिकारियों ने राष्ट्रीय महिला आयोग/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में भाग लेने, महिलाओं के प्रति किए गये अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जाँच करने तथा अल्पावास गृहों, अनाथाश्रमों, अस्पतालों, महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में कानूनी जागरूकता शिविरों, जेलों आदि के निरीक्षण हेतु देश के विभिन्न भागों का दौरा किया, जिससे कि वहां रह रही महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं की प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हो सके, सुधारात्मक उपायों के बारे में सुझाव दिया जा सके तथा इस तरह के मुद्दों को सम्बद्ध प्राधिकारियों के समक्ष रखा जा सके ।

9.3 राष्ट्रीय महिला आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें मिलीं तथा त्वरित न्याय हेतु स्वप्रेरणा से कार्रवाई की गई, बाल-विवाह के मुद्दे पर ध्यान दिया गया, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, पारिवारिक महिला लोक अदालतें और कार्यशालाएं/परामर्श सभाएं प्रायोजित की गईं, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विशेषज्ञ समितियाँ गठित की गईं, महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये और मादा भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा और बाल विवाह आदि सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रचार अभियान चलाये गये ।

## आयोग की संरचना

9.4 आयोग की वर्तमान संरचना इस प्रकार है :-

(i) डा. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा - 16.02.2005 से 15.2.2008 तक । पुनः नामित और 9.4.2008 को कार्यभार ग्रहण ।

महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 16 जनवरी, 2009 को ''जागो'' शीर्षक से जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ

(ii) सुश्री यास्मीन अबरार, सदस्य - 24.05.2005 से 23.5.2008 तक । पुनः नामित और 15.7.2008 को कार्यभार ग्रहण ।

(iii) सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सदस्य - 26.05.2005 से 11.5.2008 तक ।

(iv) सुश्री नीवा कंवर, सदस्य - 27.05.2005 से 26.5.2008 तक । पुनः नामित और 15.7.2008 को कार्यभार ग्रहण ।

(v) सुश्री निर्मला वेंकटेश, सदस्य - 15.07.2005 से 14.7.2008 तक । पुनः नामित और 24.9.2008 को कार्यभार ग्रहण तथा 27.2.2009 तक कार्यरत।

(vi) सुश्री मंजू एस. हेमब्रम, सदस्य - 30.06.2006 से 29.6.2009 तक ।

(vii) सुश्री वनसुक सायम, सदस्य -26.9.2008

(viii) श्री एस. चटर्जी, सदस्य सचिव-10.09.2007

## शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ

9.5 शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ आयोग का मुख्य एकक है । यह प्रकोष्ठ मौखिक/लिखित शिकायतों/ समाचार पत्रों में छपी खबरों पर **स्व-प्रेरणा** से कार्रवाई करता है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अनुसार स्व-प्रेरणा से मामलों पर कार्रवाई करता है । आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतें महिलाओं के विरूद्ध किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों से संबंधित होती हैं । इनमें घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज, यातना, हत्या, अपहरण, प्रवासी भारतीयों/प्रवासी भारतीयों के विवाहों से संबंधित शिकायतों, परित्याग, द्विविवाह, बलात्कार, पुलिस उत्पीड़न/निर्दयता, पति द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार, महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने, महिलाओं के साथ भेदभाव तथा कार्यस्थल पर यौन

उत्पीड़न आदि के मामले शामिल हैं । 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक आयोग के शिकायत और जांच प्रकोष्ठ में 12895 शिकायतें दर्ज की गईं। इन शिकायतों का श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक LIV** में दिया गया है । शिकायतों को इस प्रकार निपटाया जाता है :-

- पुलिस उदासीनता के विशिष्ट मामलों को अन्वेषण हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है तथा उनका मानीटरन किया जाता है ।
- पारिवारिक/वैवाहिक विवादों को परामर्श के जरिए हल किया जाता है ।
- गंभीर अपराधों के संबंध में आयोग जाँच समितियां गठित करता है, जो घटनास्थल पर जाकर जाँच, विभिन्न गवाहों से पूछताछ करके और सबूत जुटाकर सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं । आयोग संबंधित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के साथ मामले उठाकर जांच समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन का मानीटरन करता है ।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के संबंध में संबंधित संगठन/विभाग से **विशाखा बनाम राजस्थान सरकार** के मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला कर्मचारी की शिकायत की जांच करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का अनुरोध किया जाता है ।
- इस बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए आयोग ने विभिन्न राज्यों के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए हैं, जिनमें सरकारी तथा निगमित क्षेत्र में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां गठित करने पर बल दिया गया ।

*नेपाल से आए दलित आयोग के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, श्रीमती गिरिजा व्यास*

9.6 आयोग में शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है । इसलिए पीड़ित महिलाएं आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in पर शिकायतें दर्ज करा सकती हैं । इस सुविधा के जरिए देश के किसी भी भाग से शिकायतकर्ता आयोग के कार्यालय में जाए बिना ही आयोग तक पहुंच सकता है । शिकायतों का पंजीकरण ऑनलाइन हो जाता है तथा शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित कर दिया जाता है ।

## आयोग के सफल अंतःक्षेप

9.7 राष्ट्रीय महिला आयोग को मथुरा, उत्तर प्रदेश के एक निवासी से शिकायत प्राप्त हुई । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को उसके पति तथा ससुराल वालों ने दहेज के लिए उत्पीड़ित और परेशान किया । ससुराल वालों की एक लाख रुपये की मांग को जब वह पूरा नहीं कर सकी तो उसे ससुराल से निकाल दिया गया । शिकायतकर्ता ने स्थिति से समझौता करने की कई कोशिशें कीं, परन्तु ये सभी कोशिशें विफल रहीं । शिकायतकर्ता मदद के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आया । आयोग ने इस मामले को मथुरा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया और उससे इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी ।

***निष्कर्ष/परिणाम :***

आयोग के हस्तक्षेप के फलस्वरूप मामले की जांच की गई और दोनों पक्षों को बुलाकर उनमें समझौता करा दिया गया ।

9.8 राष्ट्रीय महिला आयोग को माल रोड़, दिल्ली की एक निवासी से शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध हैं और वह कभी-कभी पांच-छह महीने के लिए गायब हो जाते हैं । महिला ने यह आरोप भी लगाया कि उसका पति परिवार की रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे कभी कोई खर्च नहीं देता है । आयोग ने दोनों पक्षों को अपने कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया, जहां उन्हें परामर्श दिया गया । इसके पश्चात् उनमें आपस में समझौता हो गया ।

***निष्कर्ष/परिणाम :***

शिकायतकर्ता का पति परिवार के खर्च वहन करने तथा अपने परिवार के साथ रहने के लिए सहमत हो गया ।

9.9 राष्ट्रीय महिला आयोग को तिलक नगर, नई दिल्ली की एक निवासी से शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति और ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करते हैं और उसका उत्पीड़न करते हैं । आयोग ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए आयोग में बुलाया, जिससे कि प्रारंभिक स्तर पर ही मामले को निपटाया जा सके । आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता हो गया कि शिकायतकर्ता और उसका पति ससुराल वालों से अलग रहेंगे और ससुराल वाले उनके निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

***निष्कर्ष/परिणाम :***

शिकायतकर्ता और उसका पति ससुराल वालों से अलग रह रहे हैं । शिकायतकर्ता के पति ने आयोग को यह आश्वासन भी दिया कि वो अपनी पत्नी की समुचित देखरेख करेगा ।

9.10 राष्ट्रीय महिला आयोग को 13 वर्ष की एक अवयस्क लड़की के साथ उसके नियोक्ता द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त हुई । यह लड़की नियोक्ता के यहां घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करती थी । चूंकि यह मामला काफी गंभीर था इसलिए आयोग ने अवयस्क लड़की को उसके नियोक्ता से छुड़ाने के लिए तत्काल आयोग की सदस्या, सुश्री मंजू एस. हैम्ब्रम को गुड़गांव के एक गैर-सरकारी संगठन, चाइल्ड लाइन की सदस्य के साथ वहां भेजा । दल ने वहां जाकर लड़की को नियोक्ताओं से छुड़ाया । इसके पश्चात्, आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य मंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए यह सुनिश्चित करने का

अनुरोध किया कि इस मामले की समुचित जांच की जाए । हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस के पुलिस महानिदेशक को इस मामले की किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने और नियोक्ताओं के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का निदेश दिया ।

***निष्कर्ष/परिणाम :***

नियोक्ता से छुड़ाई गई लड़की को पुनर्वास केन्द्र में भेज दिया गया है ।

9.11 राष्ट्रीय महिला आयोग को राजस्थान के बूँदी जिले की एक महिला से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके पति और ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया है । उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि उसे उसके ससुराल वालों से स्त्रीधन, अर्थात् दहेज की राशि, जेवरात तथा अन्य मंहगी चीज़ें आदि वापस दिलवाई जाएं । आयोग ने इस मामले पर विचार किया और बूँदी, राजस्थान के पुलिस अधीक्षक से शिकायतकर्ता के ससुराल वालों से स्त्रीधन वापस दिलाने के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट मांगी ।

***निष्कर्ष/परिणाम :***

शिकायतकर्ता को विवाह के समय दिया गया उसका स्त्रीधन, जिसमें दहेज की राशि, जेवरात और अन्य कीमती सामान आदि शामिल था, वापस मिल गया।

## आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से लिया गया संज्ञान

9.12 राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस घटना का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया, जिसमें बाहरी दिल्ली क्षेत्र के स्वरूप नगर में यातायात पुलिस के सिपाही ने चलती कार में 12 वर्ष की एक अवयस्क लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार किया था । आयोग की अध्यक्षा ने इस मामले में दिल्ली के पुलिस आयुक्त से कार्रवाई करने का अनुरोध किया । इसके पश्चात्, आयोग को दिल्ली पुलिस से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें सूचित किया गया कि :

- आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है ।
- पुलिस ने तुरन्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपी व्यक्तियों (पुलिस कर्मी और एक अन्य सह-अपराधी) को गिरफ्तार कर लिया है ।
- आरोपी सिपाही को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है तथा अपराध में प्रयुक्त वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है ।
- इस मामले की आगे जांच की जा रही है ।

9.13 राष्ट्रीय महिला आयोग ने दैनिक ट्रिब्यून में 'घरेलू नौकरानी की फंदे में झूलती लाश मिली' शीर्षक से प्रकाशित समाचार का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया । चूंकि यह मामला काफी गंभीर था इसलिए आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, फरीदाबाद के पुलिस महानिरीक्षक, पलवल के जिला मजिस्ट्रेट तथा पलवल के पुलिस अधीक्षक से इस बारे में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट मंगवाई। तत्पश्चात्, आयोग को की गई कार्रवाई रिपोर्टें प्राप्त हुईं जिनमें सूचित किया गया कि :

- आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 363, 366 तथा 32 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है ।
- मृतक महिला के शव को अंतिम संस्कारों हेतु उसके भाई को सौंप दिया गया है ।
- मामले की जांच अभी चल रही है और संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस घटना की व्यापक जांच करने का निदेश दिया गया है ।

9.14 राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक अन्य मामले का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया, जिसमें सितम्बर, 2008 में चंडीगढ़, पंजाब में जर्मनी की एक लड़की के साथ तथाकथित छेड़छाड़ की गई थी । आयोग ने

इस मामले को पंजाब पुलिस के साथ उठाया और उनसे रिपोर्ट मांगी । आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात् पंजाब पुलिस ने इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की :

- इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई।
- सभी आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया है ।
- साक्ष्यों को जांच हेतु निदेशक, सी.एफ.एस.एल. भेज दिया गया है ।
- जांच कार्य पूरा हो चुका है और 21.11.2008 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है ।

9.15 राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक अन्य मामले का **स्व-प्रेरणा से** संज्ञान लिया, जिसमें एक छात्रा के साथ नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में जनवरी, 2009 में एक कार में तथाकथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था । आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जांच समिति गठित की, जिसने तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन और घटना स्थल का दौरा किया । आयोग को प्रस्तुत रिपोर्ट में पुलिस ने निम्नलिखित कार्रवाई की जानकारी दी :

- पीड़ित महिला के साथ तथाकथित सामूहिक बलात्कार की घटना की पुलिस को खबर मिलने के बाद नोएडा के सैक्टर 39 स्थित पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 376, 394 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है ।
- पुलिस ने पीड़ित महिला की जिला अस्पताल, नोएडा में डाक्टरी जांच कराई ।
- पुलिस ने 5 आरोपी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान इन आरोपी व्यक्तियों ने इस जघन्य अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की । ये सारे आरोपी व्यक्ति गढ़ चौखंडी गांव के हैं, जहां यह घटना घटी । पुलिस ने दो मोटर साइकिलें, क्रिकेट का एक बल्ला, हैल्मेट, तीन मोबाइल फोन आदि जब्त कर लिए हैं ।
- जांच के दौरान 6 अन्य आरोपी व्यक्तियों के नाम भी सामने आए । जहां तक शेष आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का संबंध है, पुलिस ने छापे मारने और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग दलों का गठन किया है ।

9.16 राष्ट्रीय महिला आयोग ने इंगलैंड में रहने वाली सुश्री स्कारलेट इडन कीलिंग की गोवा में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु की घटना का **स्व-प्रेरणा से** संज्ञान लिया । आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक जांच समिति गठित की, जिसने तत्काल गोवा का दौरा किया और मामले की छानबीन की । आयोग के हस्तक्षेप और मृतक की मां सुश्री फिओना मैकिऑन की शिकायत के पश्चात् इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की गई :

- मृतक के शव का दोबारा परीक्षण करने के पश्चात् अंजूना पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई ।
- मामले की जांच के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 और 328 तथा गोवा बाल अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(2) भी लगाई गईं ।
- आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं ।

9.17 राष्ट्रीय महिला आयोग ने दैनिक जागरण, नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित 'डायन के आरोप में दंपत्ति की हत्या' शीर्षक से प्रकाशित खबर का **स्व-प्रेरणा से** संज्ञान लिया । आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गुमला, झारखंड के जिला

मजिस्ट्रेट से इस संबंध मे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मंगवाई । रिपोर्ट में निम्नलिखित कार्रवाई की जानकारी दी गई :

- आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 के अंतर्गत तथा झारखंड जादूटोना विरोधी अधिनियम, 2001 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है ।
- पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य भगौड़े आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है ।

9.18 राष्ट्रीय महिला आयोग ने इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित 'एनदर स्लर ऑफ हरियाणा पुलिस : एचएचओ बुक्ड फॉर रेप' समाचार पर **स्व-प्रेरणा से** संज्ञान लिया । आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक तथा हरियाणा में करनाल जिले के जिला मजिस्ट्रेट से की गई कार्रवाई संबंधित रिपोर्ट मंगवाई। इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की सूचना दी गई :

- करनाल जिले के नाइसिंग पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2)(1) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है ।
- पीड़ित महिला की डाक्टरी जांच कराई गई और महिला की योनि से लिए गए नमूनों को जांच हेतु मधुबन स्थित राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेज दिया गया है ।
- आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है ।
- इसके अलावा, आरोपी निरीक्षक को सेवा से निलंबित कर दिया गया है ।
- मामले की जांच अभी भी चल रही है ।

## कानूनी प्रकोष्ठ

### (क) आलोच्य अवधि के दौरान की गई कानूनों की समीक्षा

### (i) महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की समीक्षा

9.19 राष्ट्रीय महिला आयोग ने 14 नवम्बर, 2008 को लायर्स क्लैक्टिव के साथ मिलकर महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया । इसका उद्देश्य राज्यों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अवसंरचना की स्थापना पर जानकारी एकत्र करना तथा इस कानून के उद्देश्य, अर्थात् हिंसा मुक्त घर के महिला के अधिकार की प्राप्ति की पूर्ति के लिए क्या यह कानून पर्याप्त है - इस बात की जांच करना था ।

## सिफारिश

- पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है । दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर ठेके पर नियुक्तियां करने पर विचार किया जा सकता है ।
- महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समर्थन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें संरक्षण अधिकारी तथा पर्याप्त कर्मचारी शामिल हों, ताकि पीड़ितों को शीघ्रता से न्याय दिलाया जा सके ।
- संरक्षण अधिकारियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि वे स्वयं ताल्लुका/ब्लॉक स्तर पर जाकर कार्य कर सकें । प्रत्येक पंचायत में महिला न्याय समिति के गठन की व्यवहार्यता पर विचार किया जा सकता है ।
- अधिनियम के नियम 11 के अनुसार, सेवा प्रदाताओं के बारे में अधिसूचना अपेक्षित है । सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण तथा उनकी उपयुक्तता का समुचित सत्यापन जरूरी है । उनके फोन नं. और पते प्रकाशित कर सभी को उपलब्ध कराए जाने चाहिएं ।

- परामर्शदाताओ के लिए मानदेय का प्रावधान हो ।
- महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन में संलग्न सभी पक्षों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास जरूरी है तथा संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, पुलिस तथा न्यायपालिका के लिए प्रशिक्षण नियमावलियां अलग से तैयार की जानी चाहिएं ।
- अधिनियम का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो, ताकि इसका सुगमता से प्रचार किया जा सके और इसे समझा जा सके ।
- अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बजट का आबंटन हो ।

यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय को ये सिफारिशें भेजने से पूर्व और अधिक क्षेत्रीय परामर्श बैठकें आयोजित की जाएं ।

### (ii) तेज़ाब के हमले की पीड़ित महिलाओं को राहत और पुनर्वास के लिए संशोधित स्कीम

9.20 आयोग ने पहले अपराध (तेज़ाब द्वारा) निवारण विधेयक, 2008 नामक एक विधेयक का प्रारुप तैयार किया था । बाद में यह सुझाव आया कि इसके लिए बलात्कार की शिकार महिलाओं को राहत और पुनर्वास की स्कीम की तर्ज़ पर एक स्कीम बनाई जाए और तद्नुसार आयोग ने अपराध (तेज़ाब द्वारा) की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को राहत और पुनर्वास की एक स्कीम तैयार की है, जो बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम की तर्ज़ पर है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- यह स्कीम राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाई जाएगी ।
- जिला राज्य स्तर पर इसके लिए वही प्राधिकारी होंगे, जिनका बलात्कार की शिकार महिलाओं को राहत और पुनर्वास की स्कीम के लिए सुझाव दिया गया है ।
- 50 हजार रुपये तक की राशि उपचार हेतु तत्काल दी जाएगी । बाद में यह राशि अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकती है ।
- पीड़ित महिला के पुनर्वास के लिए 2 लाख रुपये अलग से रखे जाएंगे ।

संशोधित स्कीम मंत्रालय को विचारार्थ भेज दी गई है ।

### (iii) दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधनों को अंतिम रूप देना

9.21 राष्ट्रीय महिला आयोग ने सितम्बर, 2008 में एक परामर्श बैठक आयोजित की थी और इसमें शामिल प्रतिनिधियों तथा लायर्स क्लैक्टिव द्वारा दी गई जानकारी से तैयार सिफारिशों के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया । संशोधित सिफारिशों को मंत्रालय के विचारार्थ उन्हें भेज दिया गया है ।

### (iv) कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को संरक्षण विधेयक, 2008 का संशोधित विधेयक

9.22 विधेयक के प्रारुप में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण और निराकरण का प्रावधान है । **'पीड़ित महिला' की परिभाषा में किसी महिला कर्मचारी के साथ-साथ कार्यस्थल से जुड़ी कोई भी महिला, जैसे किसी शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय आदि में कोई छात्रा, शोध छात्रा आदि शामिल है ।** यह कानून सरकारी तथा निजी क्षेत्र, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र सभी कार्यस्थलों पर लागू है । विधेयक के प्रारुप की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- **आंतरिक शिकायत समिति** का गठन ।
- जिला अधिकारी की नियुक्ति ।
- जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय शिकायत समिति का गठन ।
- संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रावधान ।

- शिकायत तथा जांच की कार्यवाही के प्रकाशन अथवा उसे सार्वजनिक बनाने के लिए दंड ।

संशोधित विधेयक को मंत्रालय के विचारार्थ उन्हें भेज दिया गया है ।

### (v) एस. आर. बत्रा तथा अन्य बनाम श्रीमती तरुणा बत्रा के मामले में 2005 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 6651-6652 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा पर सिफारिशें ।

9.23 आयोग ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक में परिभाषित 'साझे घर' की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की है । इस मामले में न्यायालय ने कहा कि पत्नी को केवल साझे घर में रहने के अधिकार का दावा करने का हक है । साझे घर का अर्थ है पति का घर अथवा पति द्वारा किराए पर लिया गया घर अथवा ऐसे संयुक्त परिवार का घर, जिसमें पति एक सदस्य है । इस मामले में घर प्रतिवादी की सास का घर था न कि प्रतिवादी के पति का । इसलिए प्रतिवादी इस घर में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकती । इस मामले की निम्नलिखित आधार पर समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है :

क. कि न्यायालय ने महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक, 2005 की धारा 2(एस) के अंतर्गत 'साझा घर' शब्दों की व्याख्या अपने निर्णय के पैरा 19 से 23 में संकीर्ण और प्रतिबंधित तरीके से की है ।

ख. न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा है कि पीड़ित महिला दिए गए पते पर साझा घर की दूसरी मंज़िल पर रहती थी और वैवाहिक विवाद के कारण अपना घर छोड़कर अपने माता-पिता के पास जाने से पूर्व जब वह अपने पति के साथ रह रही थी, तो दूसरी मंज़िल पर उसका कब्ज़ा था । कानून की समुचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पीड़ित महिला को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए था ।

ग. माननीय न्यायालय ने कानून के स्वीकार्य सिद्धांत की अवहेलना की है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विवाहित महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा, चाहे उस संपत्ति में उसका कोई अधिकार, हक अथवा लाभकारी हित न भी हो ।

घ. धारा 17 किसी भी तरीके से महिला को संपत्ति का हक नहीं देती । विवाहित महिला का साझे घर में रहने का अधिकार उसके विवाहित होने के दर्जे से उसे मिलता है और यह अधिकार घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक पारित होने से पहले भी मौजूद था । इस प्रकार, महिला का यह अधिकार साझा घर में एक निश्चित अवधि तक उसके रहने पर निर्भर नहीं है। माननीय न्यायालय ने मंगत मल बनाम पुन्नी देवी (1995) के मामला सं. 88 में विशिष्ट रूप से कहा है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 में 'भरण-पोषण' शब्द में भोजन एवं कपड़ों के अलावा आवास का प्रावधान भी शामिल होना चाहिए । इस प्रकार, साझा घर में रहने का विवाहित महिला का अधिकार पहले से विद्यमान है । धारा 17 के अंतर्गत विवाहित महिला का साझे घर में रहने का पूरा अधिकार है, चाहे साझे घर में उसकी ज्यादा उपस्थिति रही हो अथवा न रही हो। [टी. वंदना बनाम श्रीमती जयन्ती कृष्णमाचारी 2007(6) एम. एल.जे. 2005 (मद्रास)]

ङ. न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखने में विफल रहा है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले भी पति के घर में रहने का पत्नी का अधिकार भरण-पोषण के उसके अधिकार का एक हिस्सा माना जाता रहा है, कम से कम हिन्दुओं के मामले में । **बी. पी. अचला आनन्द बनाम एस. अप्पी रेड्डू तथा अन्य (220) 3 (उ.न्या.मा. 313)** में इस माननीय न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिया :

"यह हिन्दू पत्नी का हक है कि उसका पति उसका भरण-पोषण करे । उसे पति की छत्रछाया में रहने का हक है । यदि पति के खराब आचरण अथवा पत्नी को अपने घर में रखने

से इंकार के कारण अथवा यदि महिला को उससे अलग रहने के लिए विवश किया जाता है, तो उस महिला को अलग रहने का हक है। आवास का अधिकार पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार का एक अभिन्न अंग है ।"

च. 'साझा घर' की इस प्रकार की संकीर्ण और प्रतिबंधित परिभाषा करने से पति द्वारा विवाह-विच्छेद की याचिका दायर करने के पश्चात् उसे राहत मिलेगी । यदि पति विवाह-विच्छेद की याचिका दायर करने के इरादे से अपने माता-पिता के साथ मिलकर और जानबूझ कर माता-पिता का घर छोड़कर किराए के घर में चला जाता है और फिर अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है, तब भी उसे साझा घर की ऐसी संकीर्ण परिभाषा से फायदा मिलेगा ।

छ. चूंकि, विवादास्पद संपत्ति महिला की सास के नाम पर थी, इसलिए पीड़ित महिला उस घर में रहने के अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकी । यद्यपि, वह घर पीड़ित महिला की सास के नाम था, तथापि इस संपत्ति को खरीदने के लिए आय के स्रोत का पता नहीं चल पाया । चूंकि इस मामले में प्रश्नगत मकान की खरीद के लिए आय के स्रोत का पता नहीं चल पाया, इसलिए पीड़ित महिला को इस तरह के साझे घर में रहने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था ।

ज. कानून का यह एक मान्य सिद्धांत है कि लाभकारी कानून की व्याख्या उदारतापूर्वक और लाभार्थी के पक्ष में की जानी चाहिए। चूंकि, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक महिलाओं को परिवार में संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है और इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ महिला को अपना घर प्रदान करना है, इसलिए पीड़ित महिला को सुरक्षित तरीके से रहने के उसके अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

झ. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साझा घर में रहने के अधिकार के प्रश्न के संदर्भ में साझा घर का स्वामित्व अप्रासंगिक है [धारा 17 (1)] । न्यायालय ने कहा है कि महिला के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आलोच्य परिसर संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है और इसलिए इसे 'साझा घर' नहीं कहा जा सकता । यह भी धारा 17(1) के स्पष्ट उपबंध के विरूद्ध है । इस प्रकार की व्याख्या से अप्रवासी भारतीयों के विवाह के मामलों में महिलाओं द्वारा दायर आवेदनों पर जरूर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । ऐसे मामलों में पति दुल्हन को अपने माता-पिता के घर ले आता है, वहां करीब एक आध महीना ठहरता है और बाद में विदेश चला जाता है । पत्नी ऐसे घर में रहना जारी रखती है, जो ज्यादातर ससुराल वालों की स्वयं खरीदी हुई संपत्ति होती है। बत्रा के मामले में दिए गए निर्णय की व्याख्या से न्यायालय यह कहेंगे कि चूंकि यह 'साझा घर' नहीं कहा जा सकता, इसलिए पत्नी को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे पति अपनी पत्नी के लिए वीज़ा या नए घर में उसके रहने की व्यवस्था करे या न करे। इस प्रकार की व्याख्या से इस अधिनियम का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा ।

ञ. इस प्रकार की व्याख्या से आश्रय के अधिकार के लिए लड़ने वाली महिलाओं के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई ने (2007 का मुकद्दमा 3072 में 2007 के आदेश सं. 866 के विरूद्ध अपील) श्रीमती हिमाक्षी अतुल जोशी बनाम मुक्ता बेन करसनदास जोशी तथा अन्य के मामले में टिप्पणी की कि "आर. एस. बत्रा के मामले में और इस मामले में तथ्य लगभग एक समान हैं। कानूनी स्थिति और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता अपनी सास के मकान में रहने के अपने कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकती.......।" यहां भी प्रश्नगत मकान वास्तव में वैवाहिक घर था, परन्तु माननीय न्यायालय ने दलील को अस्वीकार कर दिया ।

**(vi) स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन (विचाराधीन)**

## (ख) संगोष्ठियां और सम्मेलन

9.24 **कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित संगोष्ठियां और सम्मेलन इस प्रकार हैं :**

1. डा0 गिरिजा व्यास की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 24 अप्रैल, 2008 को "कोख किराये पर देने तथा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियां" पर परामर्श बैठक ।

2. "प्रचार माध्यमों में महिलाओं का अशिष्ट निरूपण" विषय पर मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद में कार्यशालाएं। इस विषय पर मौजूदा कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 19 जून, 2008 को नई दिल्ली में "बलात्कार की शिकार महिलाओं को क्षतिपूर्ति" विषय पर परामर्श बैठक आयोजित की गई । इस परामर्श बैठक की अध्यक्षता माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती रेणुका चौधरी ने की । इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और वकीलों के साथ परामर्श के पश्चात् आयोग ने एक स्कीम तैयार की है, जिसमें बलात्कार की शिकार महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है ।

4. राष्ट्रीय स्वैच्छिक संघ संगठन द्वारा लखनऊ में "महिलाएं और राजनैतिक भागीदारी" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी ।

5. उड़ीसा राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित 'चलो गांव की ओर' विषय पर संगोष्ठी ।

6. 'पूर्वोत्तर में महिलाओं की समस्याएं' विषय पर 19 अप्रैल, 2008 को गैंगटोक, सिक्किम में संगोष्ठी ।

7. 'रात की पाली में कार्यरत महिलाएं' विषय पर 15 सितम्बर, 2008 को बेंगलौर में संगोष्ठी।

8. 'विवाह से संबंधित कानून - मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर 31 जनवरी, 2009 को दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी ।

## (ग) आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम तथा पारिवारिक महिला लोक अदालतें

9.25 आयोग ने अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तक 216 कानूनी जागरूकता कार्यक्रम तथा 9 पारिवारिक महिला लोक अदालतों का आयोजन किया ।

**9.26 आयोग द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण बैठकें/ कार्यशालाएं**

1. इंडिया इंटरनैशनल सैंटर, नई दिल्ली में 10-11 मई, 2008 को "कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रारुप" विषय पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक

2. 18 नवम्बर, 2008 को श्रीमंत कलाक्षेत्र, पंजा बाड़ी, गोवाहाटी (असम) में 'डायन प्रथा' पर संगोष्ठी ।

**9.27 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित संगोष्ठियां, सार्वजनिक सुनवाइयां/कार्यशालाएं, जागरूकता विकास कार्यक्रम**

1. बरहामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा के महिला अध्ययन अनुसंधान केन्द्र द्वारा 'उड़ीसा में विकासजनित प्रतिस्थापन तथा महिलाओं के अधिकार' विषय पर राज्यस्तरीय संगोष्ठी ।

2. ताई अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान, असम द्वारा 'शांति प्रक्रिया तथा पूर्वोत्तर भारत का विकास - महिला परिप्रेक्ष्य' विषय पर क्षेत्रीय संगोष्ठी ।

3. पांडिचेरी महिला आयोग, पांडिचेरी द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में आत्महत्या के मामलों को कम करने के संबंध में विभिन्न स्व-सहायता दलों हेतु एक-दिवसीय कार्यक्रम ।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय नीति के विषय में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 10-11 मई 2008 को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक

4. एकैडमी ऑफ ग्रासरूट स्टड्डीज़ एण्ड रिसर्च ऑफ इंडिया, तिरुपति, आंध्रप्रदेश द्वारा 'भारत में संसदीय तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण : भूमिका, स्थिति, प्रतिभागिता तथा निर्णय निर्माण' विषय पर सम्मेलन ।

5. पांडिचेरी महिला आयोग द्वारा पांडिचेरी में महिला पुलिस कर्मियों पर दो-दिवसीय कार्यशाला ।

6 आर.के. मोसांग मैमोरियल सोसायटी, जिला चांगलांग (आंध्रप्रदेश) द्वारा 'संघर्ष की स्थिति में महिलाएं' विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन ।

7. जागरूक महिला संस्था परचम, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा 'मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और अधिकार' विषय पर राज्यस्तरीय संगोष्ठी ।

8. द्वारशिनी श्रमिक संघ, उड़ीसा द्वारा 'उड़ीसा में दलित महिलाओं के साथ हिंसा' विषय पर सार्वजनिक सुनवाई ।

9. बस्तर सामाजिक जन विकास समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा 'जगदलपुर, बस्तर में महिलाओं के भूमि अधिकार' विषय पर सार्वजनिक सुनवाई ।

10. संजीवनी, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा 'पुरी, उड़ीसा में महिलाओं पर अत्याचार के मामले' पर सार्वजनिक सुनवाई ।

11. अवतार स्मृति शिक्षा एवं कल्याण समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश द्वारा 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में महिलाओं की प्रतिभागिता' विषय पर दो जागरूकता विकास कार्यक्रम ।

12. दीपक चैरिटेबल, वडोदरा, गुजरात द्वारा 'नंदेसरी, गुजरात में सुरक्षित मातृत्व और बाल उत्तरजीविता सुनिश्चित करने में महिलाओं के योगदान

को मान्यता' विषय पर जागरूकता विकास कार्यक्रम।

13. श्रीमती हेलेना कौशिक महिला कॉलेज (स्नातकोत्तर), मलसिसर जिला, झुनझुनू, राजस्थान द्वारा 'लघु वित्त एवं महिला सशक्तिकरण' विषय पर संगोष्ठी ।

14. इंटिग्रेटिड ट्राइबल डैवलैंपमेंट फॉर विकर सैक्शन, कोरापुट, उड़ीसा द्वारा 'उड़ीसा में लघु वन उत्पादों तथा अन्य वन संसाधनों पर आदिवासी महिलाओं के अधिकार' विषय पर राज्यस्तरीय संगोष्ठी ।

15. राजीव गांधी जन सेवा संस्थान, उदयपुर, राजस्थान द्वारा 'महिलाएं और राजनैतिक प्रतिभागिता' विषय पर राज्य-स्तरीय संगोष्ठी ।

16. द्रोपदी ड्रीम ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा 'कानपुर में महिला सशक्तिकरण में प्रचार माध्यमों की भूमिका' विषय पर राज्य-स्तरीय संगोष्ठी।

17. सिल्डा स्वास्ती उन्नयन समिति, जिला पश्चिमी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल द्वारा 'पश्चिम बंगाल में बाल विवाह' विषय पर राज्य-स्तरीय संगोष्ठी।

18. अभिनव कला केन्द्र, विकास नगर, रांची द्वारा गरीब महिला प्रमुख परिवारों हेतु कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के माध्यम से शिक्षा एवं प्रशिक्षण।

19. एडुकेशन रूरल डैवलैपमैंट सोसायटी, जिला विल्लूपुरम, तमिलनाडु द्वारा 'भारत में महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार' विषय पर दो जागरूकता विकास शिविर ।

20. भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश द्वारा 'महिलाओं के भूमि अधिकार' विषय पर जागरूकता कार्यक्रम ।

21. उज्ज्वल, गुड़गांव, हरियाणा द्वारा 'महिलाओं के भूमि अधिकार' विषय पर जागरूकता कार्यक्रम ।

22. नेहरु शिक्षा ग्रामीण विकास संस्थान, जिला दौसा, राजस्थान द्वारा 'बाल विवाह के संबंध में महिला सशक्तिकरण' विषय पर जागरूकता कार्यक्रम ।

## 9.28 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययन

1. जन नेता इरावत फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, रिसर्च, डैवलैपमेंट एण्ड सोशल सर्विस, मणिपुर द्वारा 'मणिपुर में महिलाओं के स्व-सहायता दलों के बैंकों के साथ संपर्क के कार्यक्रम का मूल्यांकन' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

2. भारत समेकित सामाजिक कल्याण अभिकरण, उड़ीसा द्वारा 'जिला संबलपुर, उड़ीसा में महिलाओं को लघु ऋण की उपलब्धता तथा स्व-सहायता दलों की भूमिका' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

3. ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एण्ड डेवलेपमेंट, असम द्वारा 'महिलाएं, सशस्त्र संघर्ष तथा इसके प्रभाव : सांक्षेत्रिक विश्लेषण (असम के बोडोलैंड सीमा क्षेत्र स्वायत्त जिले तथा कर्बी आंग्लाँग जिले का तुलनात्मक अध्ययन)' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

4. कमजोर और दलित सांस्कृतिक पहचान अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा 'धनबाद, पालामऊ और रामगढ़ जिले (झारखंड) में कोयला खानों में महिला श्रमिक' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

5. नोबल सोशल एण्ड एजुकेशनल सोसायटी, तिरुपति, आंध्रप्रदेश द्वारा 'आंध्रप्रदेश में हथकरघा और बिजली करघा क्षेत्रों में आत्महत्याओं का परिवारों और महिलाओं पर प्रभाव' विषय पर अध्ययन ।

6. जलागम समिति सजगौरी, जिला अलमोड़ा, उत्तराखंड द्वारा 'जिला अलमोड़ा, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाएं' विषय पर अध्ययन ।

7. राज्य ग्रामीण सेवा अभिकरण, इम्फाल, मणिपुर द्वारा 'मणिपुर के पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल जिलों में महिलाओं में एचआईवी/एड्स की बढ़ती घटनाएं' विषय पर अध्ययन ।

8. ड्रीम प्रोग्रैसिव वेलफेयर एसोसिएशन, बरबला, बरपेटा, असम द्वारा 'बरपेटा, असम में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों में संलग्न महिलाएं' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

9. मदर टेरेसा रूरल डेवलेपमैंट सोसायटी, कोमारोल, जिला प्रकासम, आंध्र प्रदेश द्वारा 'महिलाओं को उपलब्ध लघु ऋण तथा स्व-सहायता दलों की भूमिका' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

10. एसोसिएशन फॉर डेवलेपमैंट इनिशिएटिव, नई दिल्ली द्वारा 'उड़ीसा तथा दिल्ली में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का स्वरूप, मौजूदा व्याप्ति तथा प्रभाव' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

11. मासूम सोसायटी फॉर सोशल सर्विसिस, जोधपुर, राजस्थान द्वारा 'ग्रामीण राजस्थान के गांवों में महिला साक्षरता के प्रभाव' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

12. अहसास फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा 'बिहार तथा केरल में अक्षम महिला कर्मियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

13. एनवायरोनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किशोरियों हेतु परामर्श पुस्तिका का विकास' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

14. चैतन्य, गया, बिहार द्वारा 'सरपंचों और पंचों के सम्मुख आने वाली समस्याएं' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

15. सामाजिक कार्य संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा 'महिलाओं को लघु ऋण की उपलब्धता तथा स्व-सहायता दलों की भूमिका' विषय पर अनुसंधान अध्ययन ।

## अमरीकी शिष्टमंडल का राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

9.29 संयुक्त राष्ट्र की राजदूत तथा नवाचार प्रमुख, सुश्री नैन्सी ब्रिंकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्षा तथा अन्य सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया । अध्यक्षा ने आयोग द्वारा किए गए कार्यों और भविष्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया । सुश्री ब्रिंकर ने, जो कि स्तन कैंसर के इलाज से जुड़ी हैं, बताया कि उन्होने शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किस प्रकार एक बिलियन डालर इकट्ठा किए ।

## नार्वे के शिष्टमंडल का राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

9.30 नार्वे के आप्रवासी अपील बोर्ड में सलाहकार सुश्री करियान्ने रोबोल सोरेसेन की अध्यक्षता में नार्वे के शिष्टमंडल ने 17 अक्तूबर, 2008 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया । उनके साथ श्री बर्नंट सकारा और सुश्री एलि मैलबी भी थीं । आयोग की अध्यक्षा ने उनके साथ महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की और राष्ट्रीय महिला आयोग की गतिविधियों के बारे में उन्हें बताया ।